



• 5 •

गेर जमानत कुर्की व हस्तान्तरण आदि से नितांत मुक्त व पाक साफ है कोई भी राज्य नियम किसी भी रूप में बाधक नहीं है तथा हर प्रकारके भार आदि से पाक साफ है मुझ प्रथमपक्ष को अपनी उक्त समस्त भूमि रकबा 533.7 वर्गमीटर कुल को किसी भी रूप में प्रयोग करने व विकसित करने व अन्तर्गत करने का पूरा मालिकाना हक हासिल है। धृक् द्वितीयपक्ष पेशे से बिह्वर है और बिबील्डिंग निर्माण का कारोबार करते है। अतः द्वितीयपक्ष अपने आश्रयित कारोबार की दृष्टि से प्रथमपक्ष से उसकी उक्त भूमि को विकसित करने के लिये तर्क किया कि उक्त भूमि पर एक आपासीय बहुमीनला

